बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

आदेश

पटना, दिनांक .....

सं०–08 / आ०5–08 / 2020...../ प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के आदेश ज्ञापांक 713 दिनांक 25.05.2026 द्वारा श्री इन्द्रशेखर, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, रून्नीसैदपुर, सीतामढ़ी–सम्प्रति–सेवानिवृत के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 139 (ख) के तहत दो वर्षों के लिए 3% (तीन प्रतिशत) पेंशन कटौती का दण्ड अधिरोपित किया गया। उक्त अधिरोपित दण्ड के विरूद्ध श्री इन्द्रशेखर द्वारा अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया। उक्त समर्पित अपील अभ्यावेदन के आलोक में दिनांक 23.09.2026 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में सुनवाई की गयी। सुनवाई में अपीलार्थी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर अपना बचाव पक्ष रखा गया तथा प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के प्रतिनिधि के रूप में प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–08 द्वारा पक्ष रखा गया।

2. जिला शिक्षा पदाधिकारी, सीतामढ़ी के पत्रांक 2479 दिनांक 25.08.2022 द्वारा श्री इन्द्रशेखर, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, रून्नीसैदपुर, सीतामढ़ी–सम्प्रति–सेवानिवृत के विरूद्ध श्रीमती निधि कुमारी, पंचायत शिक्षक के पद पर नियोजनोपरांत उनका योगदान प्रधानाध्यापक द्वारा नहीं कराये जाने पर कोई कार्रवाई नहीं कराये जाने, उक्त से संबंधित जिला अपीलीय प्राधिकार, सीतामढ़ी द्वारा दिये गये आदेश का अनुपालन नहीं कराये जाने, विभागीय आदेश के विपरीत कार्य करने एवं अपने अधिकारों का दुरूपयोग किये जाने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया।

3. प्राप्त पत्र एवं साक्ष्यों की छायाप्रति संलग्न करते हुए निदेशालय के पत्रांक 806 दिनांक 20.10.2022 द्वारा आरोपी पदाधिकारी से लिखित बचाव अभिकथन की मांग की गयी। उक्त के अनुपालन में आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपना बचाव अभिकथन समर्पित किया गया। प्राप्त आरोप पत्र एवं लिखित बचाव अभिकथन के समीक्षोपरांत पाया गया कि जिला अपीलीय प्राधिकार के निर्गत आदेश में रून्नीसैदपुर के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को अनुपालन कराने हेतु कहा गया है। उक्त आदेश की ही प्रतिलिपि श्री इन्द्रशेखर द्वारा संबंधित प्रखंड थुम्मा के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत, राजबघाड़ी रून्नीसैदपुर एवं प्रधानाध्यापिका, प्राथमिक विद्यालय, बेलहिया टोला, बघाड़ी रून्नीसैदपुर को दिया गया।

रून्नीसैदपुर के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा अपीलीय प्राधिकार के आदेश की प्रतिलिपि थुम्मा प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को दिया गया लेकिन संबंधित शिक्षिका द्वारा जो योगदान संबंधी आवेदन दिया गया, उस आवेदन को संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को अनुपालन हेतु प्रेषित नहीं किया गया। जिसके कारण उक्त शिक्षिका को योगदान हेतु माननीय न्यायालय में वाद दायर करना पड़ा। इनके द्वारा उक्त पारित आदेश का अनुपालन किये जाने के संबंध में अपेक्षित कार्रवाई नहीं किया गया। उक्त के आलोक में समीक्षोपरांत प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के आदेश ज्ञापांक 713 दिनांक 25.05.2026 द्वारा

श्री इन्द्रशेखर, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, रून्नीसैदपुर, सीतामढ़ी–सम्प्रति–सेवानिवृत के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 139 (ख) के तहत दो वर्षों के लिए 3% (तीन प्रतिशत) पेंशन कटौती का दण्ड अधिरोपित किया गया।

4. अपील सुनवाई में अपीलार्थी श्री इन्द्रशेखर द्वारा अधिरोपित दंड को निरस्त करने का अनुरोध किया गया लेकिन अधिरोपित दंड के कारणों के प्रतिउत्तर में कोई भी तथ्य नहीं रखा गया। साथ ही सुनवाई में प्रस्तुत अपील अभ्यावेदन में भी संदर्भित तथ्य/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे स्पष्ट हो पाये कि जिला अपीलीय प्राधिकार, सीतामढ़ी द्वारा पारित आदेश का अनुपालन उनके द्वारा किया गया हो।

5. अतः समीक्षोपरांत प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के आदेश ज्ञापांक 713 दिनांक 25.05.2026 द्वारा श्री इन्द्रशेखर, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, रून्नीसैदपुर, सीतामढ़ी–सम्प्रति–सेवानिवृत के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 139 (ख) के तहत दो वर्षों के लिए 3% (तीन प्रतिशत) पेंशन कटौती के अधिरोपित दण्ड को यथावत् रखा जाता है।

6. इसके साथ ही इस अपील अभ्यावेदन को निष्पादित किया जाता है।

ह०/–
(राजीव रौशन)
सचिव, शिक्षा विभाग

ज्ञापांक–08/आ०5–08/2020–1119/ पटना, दिनांक 12.10.2026

प्रतिलिपिः महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, पेशन शाखा (प्रशाखा–17), शिक्षा विभाग/क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/जिला शिक्षा पदाधिकारी, सीतामढ़ी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), सीतामढ़ी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी/श्री इन्द्रशेखर, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, रून्नीसैदपुर, सीतामढ़ी–सम्प्रति–सेवानिवृत, पता–ग्राम–महथा, डाकघर–महथा, थाना–लदनियाँ, जिला–मधुबनी–847232 एवं आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

8/10/26
सचिव, शिक्षा विभाग